जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन सम्पर्क अनुभाग)

प्रेस–विज्ञप्ति

बिजली कर्मचारियों के विद्युत भत्ते में बढोतरी

दस रुपए के स्थान पर मिलेगें सौ रुपए प्रति माह

जयपुर, 11 सितम्बर। राज्य सरकार ने विद्युत निगमों के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वर्तमान में दिये जा रहे विद्युत भत्ते को 10 रुपए से बढाकर 100 रुपए प्रति माह कर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही तकनीकी कार्मिको की उपार्जित अवकाश से सम्बन्धित दो मांगों पर भी स्वीकृति देने बाबत आदेश जारी कर दिये हैं।

ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रान्तीय विद्युत मण्डल मजदूर फैडरेशन (इंटक) द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में दिये गए मांग पत्र विचार विमर्श करने के बाद बिजली कर्मचारियों को दिए जा रहे विद्युत भत्ते को तुरन्त प्रभाव से दस गुना बढाकर 100 रुपए प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही विद्युत निगमों के तकनीकी कार्मिकों को प्रतिवर्ष मिल रहे 24 उपार्जित अवकाश को बढा कर 30 दिवस प्रतिवर्ष कर दिया है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपार्जित अवकाश 30 दिन प्रतिवर्ष करने के साथ ही इसके संचय करने की सीमा को भी 180 दिवस से बढाकर 300 दिवस कर दिया है। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2012–13 से देय होगी।

उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्मिकों को वर्तमान में दी जा रही 12 दिवस के उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की सुविधा को बढाकर राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह 15 दिवस प्रतिवर्ष कर दिया है।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 347/2012